

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, गया।

E-mail ID- eeimdgaya@gmail.com

पत्रांक—

/ गया

दिनांक—

2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-01/2026-27
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, गया के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर वाहन यथा बोलेरो/स्कार्पियो (चालक सहित, ईंधन रहित) वित्तीय वर्ष- 2026-27 के 31.10.2026 तक के लिये आवश्यकता है, इच्छुक कोटेशनदाताओं के लिए कोटेशन के शर्तों के साथ यह कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र० सं०	ग्रुप संख्या	वाहन के प्रकार	निरीक्षण वाहन की सं०	कार्य अवधि	अभियुक्ति
01.	01.	बोलेरो / स्कार्पियो	01 अदद	एकरारनामा की तिथि से 31.10.2026 तक	सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल, नवादा हेतु।

1. कोटेशनदाता का पदनाम एवं पता:— कार्यपालक अभियंता(यॉ०), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, गया।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि:— दिनांक— 31.07.2026
3. कोटेशन जमा करने की अवधि:— 10.08.2026 को 10 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक।
4. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान:— 10.08.2026 को 3.30 बजे अपराह्न में।
5. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान:— कार्यपालक अभियंता(यॉ०) का कार्यालय, सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, गया।
6. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तें:— अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता (यॉ०)
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल,
गया।

AA



कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. भाड़े पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का व्यासायिक निबन्धन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2013 से पहले का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। मालिक/फर्म का जी०एस०टी० एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रति माह (चालक सहित ईंधन रहित) देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारन वाहन मालिक की जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) मासिक न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
11. वाहन कर माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन का किराया जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक-381 दिनांक 04.04.2022 द्वारा निर्धारित अधिकतम उद्धतदर बोलेरो रुपये 21,500.00 (इक्कीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
13. खरीफ सिंचाई अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जा सकता है, जिसके लिए वाहन एवं ड्राइवर हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक कार्यों में नहीं करेंगे।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।



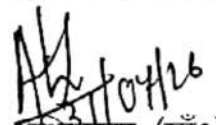
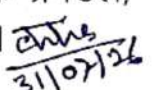
16. इच्छुक वाहन मालिक / फर्म उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की स्वसत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
17. प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग वाहन का कोटेशन संलग्न करना होगा।
18. तकनीकी एवं वित्तीय बीड का अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है।
19. तकनीकी एवं वित्तीय बीड का मुहरबंद लिफाफा को तीसरे लिफाफे में मुहरबंद कर उसके ऊपर अपना-अपना नाम, पता, मोबाईल संख्या एवं ग्रुप संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
20. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
21. शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 22 विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट www.wrd.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

ह०/-
कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल,
गया।

पत्रांक689...../गया

दिनांक31.../.....07.../2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचना की एक प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशन हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल,
गया। 
31/07/26